NAME	PLACE	DATE
Nava Bharat	Indore	30.07.2022

मराल ओवरसीज़ लिमिटेड

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255
पंजीकृत कार्यालयः मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन-451660 (म.प्र.); फोनः +91-7285-265401, 265405, फैक्सः +91-7285-265406
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12 सेक्टर-1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.), फोनः +91-120-4390300 (EPABX), फैक्सः +91-120-4277841
ईमेलः maral.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइटः https://www.maraloverseas.com

33वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

22 जुलाई, 2022 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मराल ओवरसीज़ लिमिटेड ("कम्पनी") की **33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 को अपराह्न 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से**, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 33वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय मराल सरोवर, वी. व पी.ओ. खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खारगोन – 451660, मध्य प्रदेश माना जाएगा।

कोविड–19 महामारी के दृष्टिकोण से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**"एमसीए"**) ने अपने परिपत्र सं. 02 / 2022 दिनांकित 5 मई, 2022 (के साथ पठित परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020) एवं परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) द्वारा जारी इसके विविध परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (के साथ पठित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से **"लागू परिपत्रों"** के रूप में संदर्भित) के हवाले से कैलेंडर वर्ष 2022 में कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (**"वीसी / ओएवीएम"**) के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 33वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, **29 जुलाई, 2022** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई हैं। सदस्यों को 33वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है। 33वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.maraloverseas.com** पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु निर्देशः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 33वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई–वोटिंग / के साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। डिमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित रखने वाले शेयरधारक तथा ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 से बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक वार्षिक समापन तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुशंसित लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश से बंद रहेंगे। **18 अगस्त, 2022 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार**, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट–ऑफ तिथि अर्थात् 18 अगस्त, 2022 के अनुसार डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा बुधवार, 24 अगस्त, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी।** इसके पश्चात् रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों के नाम बृहस्पतिवार, 18 अगस्त, 2022 अर्थात् पुस्तक बंदी के आरम्भ होने के पूर्व की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थियों की सूची में प्रदर्शित हो, को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रुपये 10 / – प्रत्येक अंकित मूल्य के समता शेयर पर रुपये 2.00 प्रति समता शेयर के लाभांश, जैसा की मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि 33वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान, एजीएम की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार कट–ऑफ तिथि अर्थात् 18 अगस्त, 2022 को कम्पनी की प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु **कट–ऑफ तिथि अर्थात् 18 अगस्त, 2022** के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैट अकाउंट संख्या / फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 33वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 33वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी / ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

भौतिक शेयर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः मराल ओवरसीज लिमिटेड) एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली –110020** को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **क)** फोलियो नंबर, **ख)** शेयरधारक का नाम, **ग)** ईमेल पता, **घ)** पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **ङ)** आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **च)** शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे) बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण / दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: **क)** बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, **ख)** बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, **घ)** MICR कोड संख्या, **ङ)** आईएफएससी कोड, एवं **च)** प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
डीमैट शेयर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई–वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री प्रणव कुमार, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 5013), मेसर्स प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स, की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट **www.maraloverseas.com** पर, एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड **www.bseindia.com** पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com** में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि **अर्थात् 25 अगस्त, 2022** को पारित माना जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 (**"आईटी अधिनियम, 1961"**), जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अधिदेशानुसार 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान बनाते समय स्रोत पर कर कटौती करने (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग–अलग होगी। कम्पनी को उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **16 अगस्त, 2022** को या उससे पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें। **अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज / घोषणाएं कम्पनी को tds.maral22@lnjb.com पर / कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो।** आयकर अधिनियम, 1961 में इस परिवर्तन के साथ ही लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों द्वारा आवश्यक घोषणाएं / दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रासंगिक प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करने हेतु 11 जुलाई, 2022 को सभी शेयरधारकों को कम्पनी द्वारा एक पृथक ईमेल संचार भेजा गया है एवं उक्त संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध हैः **https://www.maraloverseas.com/pdf/TDS_Communication.pdf**

अधिक जानकारी के लिए कृपया **एजीएम की सूचना में लाभांश टीडीएस संचार से संबंधित नोट नं. 26** संदर्भित करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQ) एवं शेयरधारकों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800–222–990 एवं 1800–224–430 पर फोन कर सकते हैं अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल **evoting@nsdl.co.in** अथवा **pallavid@nsdl.co.in** पर या टेलीफोन नंबर +91 22 24994360 पर संपर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **मराल ओवरसीज़ लिमिटेड**
हस्ता / –
विरेन्द्र कुमार गर्ग
कम्पनी सचिव
एफसीएस – 7321

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांकः 29 जुलाई, 2022